सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला जयपुर

विवेक शर्मा बनाम धीरज कुमार शर्मा
प्रकरण सं. 10/2015

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
13.02.2026	परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। मुल्जिम मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। इसी स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र बाबत् क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में सुनवाई करवाने बाबत् पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता परिवादी को दिलायी गयी, जिन्होंने प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में दोहराते हुए मुख्यतः यह अभिकथन किए हैं कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को न्यायालय द्वारा विचारण व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि परिवादी द्वारा चैक संख्या 122241 को भुनाने के लिए अपने बैंकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सांभरलेक में पेश किया है। इस कारण इस परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार पुलिस थाना सांभरलेक के क्षेत्राधिकार के न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक को प्राप्त है। अतः उक्त परिवाद को परिवादी के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांभरलेक थाना सांभरलेक के क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय को भिजवाये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर कर विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त की ओर से दिया गया चैक परिवादी के बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सांभरलेक में पेश किया गया था जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से किये गये उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि हस्तगत प्रकरण दिनांक 09.10.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। परिवादी द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया जाए तो परिवादी द्वारा अपने परिवाद के पैरा सं. 2 में यह वर्णित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक का भुगतान प्राप्त करने हेतु चैक को परिवादी ने अपनी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सांभरलेक में जमा करवाया था। उक्त चैक अभियुक्त की बैंक द्वारा 'अपर्याप्त निधि' के रिमार्क के साथ अनादरित कर परिवादी की बैंक को लौटा दिया था। इसी अनुक्रम में पत्रावली पर संलग्न चैक का अवलोकन किया जावे तो चैक सं. 122241 यूको बैंक का अकाउंटपेयी चैक है जो की परिवादी विवेक शर्मा के नाम से है। जिन पर सील यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांभरलेक की लगी हुयी है। उक्त चैक के संदर्भ में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न मेमो दिनांकित 12.08.2014 यूको बैंक, शाखा फुलेरा द्वारा जारी रिटर्न मेमो है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में संबंधित विधि का अवलोकन किया जावे तो एन.आई एक्ट की धारा 142(2) के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में यह प्रावधान दिए गए हैं कि ''धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध की जांच और उसका विचारण, केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर– (ए) यदि चैक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, तो बैंक की शाखा, जहां	

पाने वाला या सम्यक् अनुक्रम में धारक, यथास्थिति खाता संधारित करता है। (बी) यदि चैक सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाले या धारक द्वारा, संदाय के लिए, खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरवाल की बैंक की शाखा, जहां पर लेखीवाल खाता संधारित करता है, स्थित है। स्पष्टीकरण–खण्ड (ए) के प्रयोजनों के लिए, जहां चैक पाने वाले या सम्यक अनुक्रम में धारक की बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, तो चैक को उस बैंक की शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा, जिसमें पाने वाला या सम्यक् अनुक्रम में धारक, यथास्थिति खाता संधारित करता है।''

इसी क्रम में धारा 142ए(1) के तहत "Section 142-A. Validation for transfer of pending cases. -(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any judgment, decree, order or direction of any court, all cases transferred to the court having jurisdiction under Sub-section (2) of Section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, shall be deemed to have been transferred under this Act, as if that sub section had been in force at all material times."

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिया गया चैक यदि किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया गया है तो उक्त चैक के सन्दर्भ में धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम धारक का बैंक खाता अवस्थित है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से दिये गये चैक, चैक सं. 122241 पर अकाउंट पेयी चैक लिखा हुआ है अर्थात् चैक सं. 122241 परिवादी विवेक शर्मा को खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया गया है। उक्त चैक सं. 122241 को परिवादी विवेक शर्मा द्वारा अपने बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सांभरलेक में प्रस्तुत करने का अभिकथन अपने परिवाद में किया है। ऐसी स्थिति में एन.आई. एक्ट के उपरोक्त विधिक प्रावधान धारा 142(2)(ए) के अनुसार इस परिवाद के विचारण की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए धारा 142 व 142(ए)(1) एन.आई. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यह परिवाद विचारर्णाथ सक्षम न्यायालय को अंतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिवादी का बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांभरलेक में स्थित है जो कि जिला जयपुर के सांभरलेक मुख्यालय में अवस्थित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः परिवाद विचारण हेतु न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला जयपुर को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। अतः यह परिवाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला जयपुर में अंतरित किया जाता है। अधिवक्ता परिवादी व अभियुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि आगामी तारीख पेशी ..... पर अंतरिति न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। पत्रावली सांख्यिकी परियोजन से निस्तारित की जाकर आगामी दिनांक से पूर्व परिवाद उक्त अंतरिति न्यायालय को नियमानुसार भिजवाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(जयश्री लमोरिया)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर